

असाधारण

EXTRAORDINARY

. भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 291]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 2009/वैशाख 25, 1931

No. 291]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 15, 2009/VAISAKHA 25, 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना ,

नई दिल्ली, 15 मई, 2009

सा.का.नि. 339(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 53छ की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 63 की उप-धारा (2) के खंड (डग) द्वारा प्रदत्त शिक्तर्यों का प्रयोग करते हुए, प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2009 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वंतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते) संशोधन नियम, 2009 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते) नियम, 2009 में, नियम 17 में,—
 - (i) उप-नियम (1) में, "कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के भारसाधक मंत्री के समक्ष" शब्दों का लोप किया जाएगा:
 - (ii) उप-नियम (2) में, "अध्यक्ष के समक्ष" शब्दों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 5/36/2007-आईजीसी/सीएस]

अविनाश कु. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण में सं. सा.का.नि. 137(अ), तारीख 27 फरवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

1840 G1/2009

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2009

- G.S.R. 339(E).—In exercise of the powers conferred by clause (mc) of sub-section (2) of Section 63 read with sub-section (1) of Section 53G of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Competition Appellate Tribunal (Salaries and Allowances and other Terms and Conditions of Service of the Chairperson and other Members) Rules, 2009, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Competition Appellate Tribunal (Salaries and Allowances and other Terms and Conditions of Service of the Chairperson and other Members) Amendment Rules, 2009.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Competition Appellate Tribunal (Salaries and Allowances and other Terms and Conditions of Service of the Chairperson and other Members) Rules, 2009, in Rule 17,—
 - (i) in sub-rule (1), the words "before the Minister-in-charge of Ministry of Corporate Affairs", shall be omitted;
 - (ii) in sub-rule (2), the words "before the Chairperson", shall be omitted.

[F. No. 5/36/2007-IGC/CS]

AVINASH K. SRIVASTAVA, Jt. Secv.

Foot Note: The principal Rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 137(E), dated 27th February, 2009.